न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

ासीन अधिकारीः– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

रण संख्याः– 119 / 2026

दपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

कुलदीप सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
चरणजीत सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम्

अली मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
नूर अहमद पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
इमामदीन पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
मन्जूर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
मुनीर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
. शरीफ मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
. करमा बीबी पुत्री हनीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
. बसकाई पत्नी हनीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
. सुबा माही पुत्र हनीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10.सुबा सादक पुत्र हनीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11.हाजरा पत्नी युनस अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.
12.बशीरा पुत्री युनस अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13.जोरा पुत्री युनस अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14.नूरनबी पुत्र युनस अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
15.रोशन अली पुत्र सादक अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
16.रहमत अली पुत्र उमर सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
17.भागीरथ पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
18.तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री महावीर बेरड़ वकील––वादी
2. कुलदीप मूण्ड वकील––प्रति सं. 1 ता 17

–: निर्णय :–

दिनांक :– 21.4.2026

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17 जो कि एक ही संयुक्त चक के संयुक्त खाता के काश्तकारान है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के विवादित खाता सं. 94/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 11.348 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17 की विवादित खाता में दर्ज होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 18 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 17 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 17 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 17 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादीगण के पक्ष में हुए बंटवारानुसार कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 1 ता 17 का उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। वादीगण को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:–

(क) वादीगण कुलदीप सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह एवं चरणजीत सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

ब. कृषि भूमि का विवरण :– तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के खाता सं. 94/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 1.012 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 1 अली मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :– तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के खाता सं. 94/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.807 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 2 ता 6 क्रमशः नूर अहमद पुत्र मोहम्मद सदीक, इमामदीन पुत्र मोहम्मद सदीक, मन्जूर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक, मुनीर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक एवं शरीफ मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :– तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के खाता सं. 94/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 2.771 है. कृषि भूमि

) प्रतिवादी सं. 7 ता 10 क्रमशः करमा बीबी पुत्री हनीफ, बसकाई पत्नी हनीफ, सुबा माही पुत्र हनीफ एवं सुबा सादक पुत्र हनीफ समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :– तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के खाता सं. 94/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.555 है. कृषि भूमि

) प्रतिवादी सं. 11 ता 14 क्रमशः हाजरा पत्नी युनस अली, बशीरा पुत्री युनस अली, जोरा पुत्री युनस अली एवं नूरनबी पुत्र युनस अली समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :– तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के खाता सं. 94/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 1.606 है. कृषि भूमि

च) प्रतिवादी सं. 15 रोशन अली पुत्र सादक अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :– तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के खाता सं. 94/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.233 है. कृषि भूमि

(छ) प्रतिवादी सं. 16 रहमत अली पुत्र उमर सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :– तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के खाता सं. 94/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 1.898 है. कृषि भूमि

(ज) प्रतिवादी सं. 17 भागीरथ पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :– तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के खाता सं. 94/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 2.466 है. कृषि भूमि

वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने एवं वादीगण की जाति भुलवंश टंकित मुसलमान के स्थान पर जटसिख करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 ता 17 के नाम से कृषि भूमि दर्ज होने के कारण एवं प्रतिवादी सं. 18 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 18 के विरूद्ध सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के विवादित खाता सं. 94/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 11.348 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 1.012 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 1 को 0.807 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 ता 6 को 2.771 है. कृषि भूमि के ब.हि.व. के, प्रतिवादी सं. 7 ता 10 को 0.555 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 11 ता 14 को 1.606 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 15 को 0.233 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 16 को 1.898 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 17 को 2.466 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादीगण की जाति मुसलमान के स्थान पर जटसिख अंकित की जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने जरिये धिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किये। प्रतिवादी संख्या 18 स्टेट ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी कुलदीप सिह ने पना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार चक 5 मएमके के खाता संख्या 94/7 ज.स.2070–2073 की प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील ादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादपत्र ाहसील संगरिया के अपवादित खाता चक 5 एमएमके के खाता संख्या 94/7 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के मुताबिक जमाबंदी पेश किया है। जमाबंदी के कुल रकबा में वादपत्र के पैरा संख्या 3 अनुसार यादी/प्रतिवादीगण का मौका पर वास्तविक कृषि भूमि पर कब्जा है इसलिए वाद वादी डिकी किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को वाद पत्र के पैरा संख्या 4 अनुसार डिकी किया जावे व वाद पत्र के पैरा संख्या 4 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संशोधन के आदेश पारित किये जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 अविवक्तागण द्वारा भी अपने जवाब दावा अनुरूप कथन कर वादपत्र मुताबिक अनुतोष डिकी करने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। चक 5 एमएमके के खाता संख्या 94/7 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में वाद पत्र व अपवादित खाता में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से वाद पत्र में वर्णितानुसार कृषि भूमि पक्षकारो के नाम से दर्ज है। वाद पत्र में वर्णितानुसार काश्तकारो के नाम से भूमि तो दर्ज राजस्व रिकार्ड है किन्तु भौतिक रूप से कब्जा काश्त नही होने से अनावश्यक वाद बहुलता बढना संभावित है तथा भ्रामक स्थिति राजस्व रिकार्ड के संबध में प्रकट होती है जो कायिल दुरूस्ती है। वादपत्र में जरिये सम्मन उपस्थित प्रतिवादीगण ने भी सहमति का जवाब दावा पेश कर वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिकी करने पर कोई एतराज नही किया है। अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक सहमति अपवादित खाता डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा अपवादित खाता के आधार पर डिक्री किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के विवादित खाता सं. 94/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 11.348 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 1.012 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 1 को 0.807 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 2 ता 6 को 2.771 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. प्रतिवादी सं. 7 ता 10 को 0.555 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब, प्रतिवादी सं. 11 ता 14 को 1.606 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 15 को 0.233 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 16 को 1.898 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 17 को 2.466 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादीगण की जाति मुसलमान के स्थान पर जटसिख अंकित करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 21.4.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया